

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग/एम-10/भरतपुर/2024/ 66

दिनांक:—02-04-2024

**आदेश**

श्रीमति मिथलेश सविता, सेवानिवृत्त एल.एच.वी, खण्ड बसेडी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर का पेंशन नियम 26 (2) के तहत दिनांक 17.04.2004 से दिनांक 06.03.2006 तक कुल 689 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग/एएनएम/आर-2/2023/

दिनांक:—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-भरतपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रुम उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

**Signature valid**

RajKaj Ref  
6198485



Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation : Director  
Date: 2024.03.29 08:04:57 IST  
Reason: Approved